Q&A लाख टके का जवाब
इंश्योरेंस

अमित सूरी
सीएफपी, एयूएम
फाइनेंशियल प्लानर्स

हमारे विशेषज्ञ म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में निवेश, टैक्स जैसे मुद्दों पर आपकी राह आसान करेंगे। आप सवाल ethindiquery@gmail.com पर भेज सकते हैं

प्र मैं 28 साल का युवक हूं और आईटी कंपनी में काम करता हूं। मैं टर्म इंश्योरेंस खरीदने की योजना बना रहा हूं। क्या दो कंपनियों से टर्म इंश्योरेंस खरीदने का सुझाव सही है? मैं भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) दोनों कंपनियों से 20-20 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता हूं। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है तो क्या दोनों कंपनियों से क्लेम लिया जा सकता है?

सचिन

उ दो कंपनियों से टर्म इंश्योरेंस लेने के कई नुकसान हैं। इसमें अधिक इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम से मिलने वाले छूट का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से आपको अधिक प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको दोनों कंपनियों से इंश्योरेंस खरीदने में अलग-अलग मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा। क्लेम का दावा करते वक्त नॉमिनी को दोनों कंपनियों से अलग-अलग क्लेम करना पड़ेगा।

प्र मैं 46 साल का हूं जबकि मेरी पत्नी की उम्र 40 साल है। मेरे 15 और 17 साल के दो बच्चे हैं। मेरे पास रिलायंस हेल्थवाइज पॉलिसी थी जो 31 अक्टूबर 2010 को समाप्त हो चुकी है। मैंने पॉलिसी के रिन्यूवल के एक आवेदन प्राप्त किया जिसमें पांच फीसदी नो क्लेम बोनस के बाद 40,122 रुपए प्रीमियम चुकाने की बात कही गई थी। मैंने जब यह पॉलिसी ली तब मुझे दो साल के लिए 14,620 रुपए प्रीमियम चुकाने की बात कही गई गई। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी ने प्रीमियम की रकम छह गुना बढ़ा दी। क्या इसके खिलाफ उपभोक्ता फोरम में कोई मामला दायर किया जा सकता है?

राजेश एस

उ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम नॉन टैरिफ प्रोडक्ट हैं। इस तरह के उत्पाद में कंपनियां अपनी सुविधा के हिसाब से प्रीमियम तय कर सकती हैं। इसके लिए कंपनियां पुराने क्लेम रेशियो और भविष्य के अनुमान के हिसाब से दरें तय करती हैं। रिलायंस उ जनरल इंश्योरेंस ने सस्ते बीमा उत्पाद उतारकर बाजार में कदम रखा था। अब क्लेम संबंधी अनुभवों को देखते हुए कंपनी ने प्रीमियम दरों में काफी इजाफा किया है। इसे पॉलिसीधारक के हिसाब से तो सही नहीं कहा जा सकता। किसी कंपनी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले प्रीमियम पर इरडा का भी नियंत्रण नहीं है। अगर आप अपनी पुरानी कंपनी के प्रीमियम से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको उस पॉलिसी के रिन्यूवल के बजाय किसी दूसरी कंपनी से पॉलिसी खरीदनी चाहिए जो आपको निरंतरता का लाभ दे और आपके हिसाब के प्रीमियम पर कवर उपलब्ध कराए। यहां यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में बार-बार कंपनी बदलना ठीक नहीं है और किसी विपरीत स्थिति में ही ऐसा सोचना चाहिए।

प्र मैं एक निजी कंपनी में काम करता हूं और मेरा सालाना मेडिकल रिइम्बर्समेंट 15,000 रुपए है। क्या मुझे अलग से हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है? एलआईसी के अलावा किसी और कंपनी के बीमा उत्पाद पर कर में छूट मिलती है?

रोहित गुप्ता

उ निजी कंपनी में काम करने वाले लोगों को नियोक्ता द्वारा दिए गए हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा भी एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया इंश्योरेंस कंपनी में काम करते वक्त तक ही प्रभावी होता है। नौकरी बदलने के बाद इसका लाभ नहीं मिल पाता। हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में आयकर में छूट सेक्शन 80 डी और जीवन बीमा के मामले में सेक्शन 80 सीसीसी के तहत मिलती है।